mai'l

MOST-URGENT
OUT - TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/2287/ दिनांक :–02 ~~अप्रेल~~ मई, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा मे नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में दिनांक 19.03.2020 से निषेधाज्ञा एवं भीलवाड़ा शहर के साथ–साथ जिले के कई क्षैत्रों में (जहां–जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुये) में सख्त निषेधाज्ञा (**Curfew**) लागु की गई है। साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में सम्पूर्ण देश एवं राज्य में लॉक डाऊन घोषित किया हुआ हैं।

इस क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 21.04.2020 एवं 24.04.2020 के अनुसरण में गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 33 (2) गृह–9/2019 दिनांक 15.04.2020 से लॉकडाउन क्रियान्वयन के तहत जारी गाईडलाईन के बिन्दु सं0 14 के उपबिन्दु 04 "Government approved Common Service Centres (CSCs) at Gram Panchayat Level" के अनुक्रम में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों (ग्राम पंचायत स्तर पर) में कार्यरत ई–मित्र परियोजना के कियोस्क धारकों द्वारा ई–मित्र की सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतः भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में भीलवाड़ा जिले के नागरिको की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये भीलवाड़ा **जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मे संचालित ई–मित्र सेवाओं** (यथा–सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, सहयोग–उपहार, छात्रवृत्ति आवेदन/नवीनीकरण/आक्षेप पूर्ति, रबी 2020–21 में सरसों, चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य के पंजीकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओ से संबंधित सेवायें) **के संचालन हेतु उपखण्ड अधिकारी के सतत् निर्देशन में निम्नाकिंत शर्तो के तहत कार्य किये जाने की स्वीकृति** प्रदान की जाती है :–

- ई–मित्र संचालक को सेवाओं की प्रदायगी के दौरान Wearing of Mask & Social Distancing के साथ–साथ चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों की अक्षरसः एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

- यह आदेश जिले के शहरी क्षैत्रों के साथ–साथ Containment Zone कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों, मे लागू नही होगा। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसकी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावेगी।

.... 2

:: Nitin :: Covid-19/ CRPC-144

- उक्त वर्णित शर्तो, निर्देशों एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले कियोस्क धारक की अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए भारतीय दण्ड सहिता धारा 188, 269, 270 एवं The Rajasthan epidemic diseases act, 1957 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अभियोजित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान–जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान–जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान–जयपुर
05. आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सू.प्रौ. और संचार विभाग, राजस्थान–जयपुर।
06. संभागीय आयुक्त, अजमेर
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन / शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, भीलवाड़ा
11. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला–भीलवाड़ा
12. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला–भीलवाड़ा
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा
15. समस्त तहसीलदार जिला–भीलवाड़ा
16. एस.ए. (संयुक्त निदेशक), सू.प्रौ. और संचार विभाग, भीलवाड़ा
17. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
18. प्रोग्रामर, समस्त, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जिला भीलवाड़ा
19. समस्त एल.एस.पी. जिला भीलवाड़ा

जिला कलक्टर,
भीलवाडा